कार्यालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

र्थी लक्ष्मणसिंह विपक्षी गोपालसिंह

स्म मुकदमा रा. वा. पत्रावली संख्या 28 सन् 2020

03/06/24
पत्रावली पेश हुई। वादी – प्रतिवादी उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
भ्रमण प्रशासनिक कार्य होने से
पत्रावली दिनांक 03/07/24 को पेश होवे।
आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

03/07/24. पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. । वकील वादी ने प्रा. प. 09 R7 आ. दी स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए No objection अंकित कीया। अतः प्रा. प. 09 R7 आ. दी. को स्वीकार कीया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कर दो तरफा कार्यवाही की जाती है। मि. वास्ते जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 05/08/24 को पेश हो।

05/08/24 पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. । वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित मे अवसर दिया जाता है। मि. वास्ते जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 23/09/24 को पेश हो।

23/09/24
पत्रावली पेश हुई/ वादी-प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिका[illegible] [illegible]न व्यवस्था/
भ्रमण प्रशासनिक कार्य होने से
पत्रावली दि 21/10/24 को पेश होवे।
आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

21/11/24

पत्रावली पेश हुई/वादी प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
भ्रमण....प्रशासनिक....कार्य..........होने से
पत्रावली दि.25/12/24...को पेश होवे।

आज्ञा से

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

24/12/24

पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। जवाब प्रतिवादीगण हेतु अवसर चाहा। जवाब प्रतिवादीगण हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। न्यायहित मे अंतिम अवसर दिया जाता है। मि. वास्ते जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 03/02/25 को पेश हो।

03/02/25

पत्रावली पेश हुई/वादी-प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
भ्रमण...प्रशासनिक कार्य..............होने से
पत्रावली दि...03/03/25...को पेश होवे।

आज्ञा से

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

03/03/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। जवाब प्रतिवादीगण हेतु अवसर चाहा। न्यायहित मे अंतिम अवसर दिया जाता है। मि. वास्ते जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 16/04/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जिला सलूम्बर

16/04/25

पत्रा. पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित। जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार-बार आवाज लगवाई गई। उसके उपरान्त भी वादीगण मय अधिवक्ता के गैर-हाजिर रहने से वादीगण का यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज कीया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर